BA 2
IVth Paper

16/07/20

भारत में सार्वजनिक ऋण की स्थिति :-

(Public debt / Position of public debt in India)

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक ऋण के घटकों का चयन उनके आर्थिक महत्त्व के आधार पर किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण में करेंसी देयताओं को छोड़कर इसकी सभी वित्तीय देनदारियों को शामिल करने का औचित्य बनता है। तदनुसार राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण भी उनकी समस्त वित्तीय देनदारियाँ होनी चाहिए। परंतु भारत की सरकारी लेखाविधि में सार्वजनिक ऋण की एक संकीर्ण परिभाषा अपनाई गई है। इसमें सरकार की सभी देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता। इस बात का व्याख्या हेतु हमें सर्वप्रथम यह जानकारी होना चाहिए कि भारत सरकार की वित्तीय प्राप्तियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है।

• सरकार अपनी कुछ प्राप्तियों पर अपना स्वामित्व मानती है जैसे कि कर-राजस्व, कुछ प्रकार की उधार राशियाँ, सरकार द्वारा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋणों की वसूलियाँ आदि। जिन खातों में इन धनराशियों को रखा जाता है, उन्हे सामूहिकतौर पर "भारत की समेकित निधि" (Consolidated Fund of India) कहा जाता है। ध्यानयोग्य है कि समेकित निधि में केवल वे उधार-प्राप्तियाँ रखी जाती हैं जिन्हें कानूनी दृष्टिकोण से इस निधि की भाव-प्राप्तियों की गारंटी पर लिया गया हो तथा जो इस निधि से देय हों। सरकार का सारा "व्यय" इस समेकित निधि से किया जाता है और संसद की पूर्वानुमति के बिना इस निधि से व्यय करना गैर-कानूनी है। संविधान के अनुसार व्यय की केवल कुछ मदें ही ऐसी हैं जिन्हें समेकित निधि पर "भारित" (charged) माना जाता है; इनके लिए संसद की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। इन "भारित" व्यय मदों में (क) सरकार द्वारा लिए गए उधारों की मूल राशियों और उनपर देय ब्याज की अदायगियाँ, (ख) राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ, (ग) राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, (घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक (Comptroller and Auditor General

Scanned by CamScanner

of India) के वेतन, भत्ते और पेंशनें आदि शामिल हैं।

• अपनी कुछ प्राप्तियों को भारत-सरकार धरोहर-प्राप्तियाँ मानती है। इसके संबंध में वह अपनी भूमिका एक बैंकर के तुल्य मानते हुए ~~इन्हें~~ इन्हें भारत की समेकित निधि के स्थान पर "भारत के लोक खाते" (Public Account of India) में रखती है। इस खाते से व्यय हेतु संसद की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होता। भारत सरकार इन देनदारियों को सार्वजनिक ऋण का भाग न गिनते हुए "अन्य देनदारियाँ" (Other liabilities) कहती है।

• भारत सरकार अपने सार्वजनिक ऋण अर्थात "लोक ऋण" (public debt) में केवल उन वित्तीय देनदारियों को शामिल करती है जो 'भारत की समेकित निधि' की भावी-प्राप्तियों की गारंटी पर ली गई हों तथा इस निधि से देय हों। इस प्रकार परिभाषित लोक ऋण में "बाज़ार उधार" (भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों सहित) शामिल रहते हैं। देश के भीतर से लिए गए उधारों को "आंतरिक मुद्रा ऋण" (internal/domestic debt) तथा विदेशों से लिए गए उधारों को "बाह्य" अथवा "विदेशी ऋण" (external/foreign debt) कहा जाता है।

• भारत के लोक खाते में रखे जाने वाले उधारों को भारत सरकार "अन्य देनदारियाँ" (other liabilities) कहती है; और सरकारी स्तर पर इन्हें लोक ऋण के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता।

• प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी समेकित निधि है और लोक खाता है। इसी प्रकार उपरोक्त लेखा-विधि के अनुसरण में प्रत्येक राज्य का लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ परिभाषित की जाती हैं।

• हमारे संविधान में राज्य सरकारों को ~~विदेशों~~ विदेशों से उधार लेने की मनाही है परंतु वे भारत सरकार से उधार ले सकती हैं।

Scanned by CamScanner